

कार्यालय पुलिस अधीक्षक(रेडियो) जबलपुर जोन जबलपुर

क्रमांक- पु.अ.(रे.)/जबल./कय/2604/2020

दिनांक - 04.08.2020

विषय - सीमित निविदा ।

कृपया सीमित निविदा बंद लिफाफे में निम्नलिखित सामग्रियों के लिये प्रतिनग दर(कर अतिरिक्त) से पुलिस अधीक्षक(रेडियो) जबलपुर म0प्र0 में प्रदाय हेतु प्रस्तुत करें। केवल वही सामग्री की दरें प्रस्तुत की जावें जिन्हे प्रदाय करने में फर्म पूर्णतः सक्षम हो। दरों की वैधता 90 दिवस होगी। सीमित निविदा को पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक(रेडियो) जबलपुर म0प्र0 के नाम से भेजें। लिफाफे के उपर "सीमित निविदा" हमारा संदर्भ क्रमांक, दिनांक, एवं निविदा भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 20/08/2020 अवश्य लिखें। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

स.क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	GM 338 MRF 1565 PA	10
2	GM 33825 W 10 PIN FLUX	20
3	GM 338 VOLUME CONTROL	15
4	GM 338 VOLUME CONTROL NOBE	25
	MTX 960 VOLUME CONTROL SWITCH	25
6	MTX 960 40 PIN FLUX	15
7	MTX 960 TESTING CONNECTOR	15
8	KENWOOD 7360 PA TRN.	08
9	SMPS 10AMP/30AMP FET 460	30
10	SMPS D1300NK FET	30
11	DIODE IN 4007	200
12	IC 3844	100
13	TRN. XL0840-X405	50
14	TUBELIGHT CHOKE FET GT EBJQ	30

नोट - 1. सीमित निविदा पत्र स्वयं उपस्थित होकर कय शाखा जोन जबलपुर में रखे बॉक्स में अंतिम दिनांक /07/2020 से पहले या अंतिम दिनांक को 1700 बजे तक डाले जावें। निर्धारित समय के बाद निविदा मान्य नहीं होगी।

2. फर्म अपने कोटेशन एवं बिल में आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, खाता क्रमांक, जीएसटी नम्बर, मोबाईल नम्बर, आवश्यक रूप से अंकित करें। जिससे कोषालयीन ई-भुगतान से वेंडर कोड आंबटित करवाकर भुगतान किया जा सके।

सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. सम्पूर्ण आदेशित मात्रा का प्रदाय , कय आदेश प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस के अंदर किया जावे।
2. प्रत्येक सामग्री का एक सेम्पल, स्पेसिफिकेशन परीक्षण हेतु सीमित निविदा के साथ भेजना आवश्यक होगा। निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामग्री न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. संपूर्ण सामग्री प्राप्त होने एवं गुणवत्ता परीक्षण में पास होने पर ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।
4. यदि निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करते हैं तथा अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करते हैं तो क्रयादेश स्वयंमेव निरस्त हो जायेगा तथा प्रदायकर्ता फर्म को विभागीय काली सूची में एक निश्चित अवधि के लिये दर्ज किया जावेगा। उक्त अवधि में विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदाय आदेश नहीं दिये जायेंगे।
5. यदि प्रदाय अवधि का विस्तार किया जायेगा तो विस्तारित अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली सामग्री पर 0.25 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। पेनाल्टी की गणना हेतु सामग्री का प्रदाय टुकड़ों(किस्तों) में स्वीकार नहीं किया जावेगा। क्रय आदेश में उल्लेखित संपूर्ण सामग्री प्राप्त होने की तिथि को ही सामग्री प्राप्ति की दिनांक मानकर पेनाल्टी की गणना मूल कीमत पर की जावेगी, इसमें कर शामिल नहीं किया जावेगा।
6. प्रदाय अवधि का विस्तार एक बार ही किया जावेगा। यदि निर्धारित प्रदाय अवधि/विस्तारित में भी संपूर्ण सामग्री का प्रदाय नहीं किया जाता है तो शेष सामग्री का क्रयादेश निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की गई मात्रा के भुगतान में से अप्रदायित सामग्री के मूल्य की 05 प्रतिशत पेनाल्टी प्रदायित सामग्री के देयक में से काटी जावेगी।
7. निर्धारित प्रदाय अवधि/विस्तारित प्रदायवधि समाप्त होने के उपरांत सामग्री का प्रदाय स्वीकार नहीं किया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा किसी प्रकार का भाडा वहन नहीं किया जावेगा।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों में शंका/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस महानिदेशक म0प्र0 भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. सामग्री क्रय के कोटेशन/देयक में वास्तविक मूल्य एवं जीएसटी को अलग-अलग दर्शाया जावे।
10. सामग्री की मात्रा विभाग द्वारा कम या ज्यादा की जा सकती है।

मद - 33-002(मशीन उपकरण अनुरक्षण मद)

मांग- निरीक्षक(रेडियो) कर्मशाला जबलपुर

पुलिस अधीक्षक(रेडियो)
जबलपुर जोन जबलपुर